A2

फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री रोशन लाल जैन पिता बाबूलाल जैन ग्राम धांगडमऊ कलां पोस्ट बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 57/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/05/19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री रोशन लाल जैन पिता बाबूलाल जैन ग्राम धांगडमऊ कलां पोस्ट बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु आवेदन दिनांक 16.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.03.2019 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 15.04.2019 तक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 15.05.2019 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 09 दिवस के पश्चात् दिनांक 24.05.2019 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को मय उनके द्वारा प्रस्तुत पोस्टल ऑर्डर नं. 06F 123310 राशि 10/–रूपये के प्रेषित की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)	प्रति 30/5/19

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official